भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-190

उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

भाषाई विरासत का संवर्धन और संरक्षण

†190. **श्री जगदम्बिका पाल:**
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्री मनोज तिवारी:
श्री भर्तृहरि महताबः
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री दिलीप शइकीया:
श्री नव चरण माझी:
श्री शंकर लालवानी:
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
डॉ. आलोक कुमार सुमन:
श्री प्रदीप पुरोहितः
श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमाः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्री विजय बघेल :
डॉ. जयंत कुमार रायः
श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे :
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री मितेश पटेल (बकाभाई):
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की समृद्ध भाषाई विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए नई शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी को किस प्रकार एकीकृत करना है, इसका ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार और गरीब और पिछड़े बच्चों को उनकी

शिक्षा/उच्चतर शिक्षा जारी रखने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए उठाए गए नए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) समझना, प्रेरित करना, प्रबंधन करना, सहानुभूति रखना, सशक्त बनाना, विकास करना (उम्मीद) दिशा-निर्देशों के उद्देश्यों और दृष्टिकोण सहित इसके प्रारूप का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और सर्च इंजन स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं;
(घ) क्या सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चित करने के लिए कोई अतिरिक्त कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश भर में छात्रों द्वारा आत्महत्या के प्रयासों को कम करने और आत्महत्या की रोकथाम के लिए संवेदनशील बनाने और जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशेष रूप से राष्ट्र की विविध भाषाई विरासत/विविधता को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के संदर्भ में शिक्षा के साथ प्रौद्योगिकी के विलयन पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) मशीन अनुवाद प्रकोष्ठ के साथ-साथ भाषा संगम कार्यक्रम भी चला रही है जो विभिन्न पुस्तकों का अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद कर रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कई भारतीय भाषाओं में तकनीकी पुस्तकों सहित पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए अनुवादिनी ऐप का लाभ उठाया है। अनूदित पुस्तकें ई-कुंभ पोर्टल पर उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) और सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) 13 भाषाओं में आयोजित की गई हैं। कतिपय (एआईसीटीई) अनुमोदित संस्थानों में 8 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान की जा रही है। पाठ्य-पुस्तकें और शिक्षण संसाधन सहित पाठ्य सामग्री, ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा) पोर्टल पर 33 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ओपन सोर्स में 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं के लिए मौखिक और पाठ अनुवाद हेतु मुख्य भाषा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए वर्ष 2022 में मिशन डिजिटल इंडिया भाषिणी का शुभारंभ किया है। पाठ (टेक्स्ट) और वॉइस में भाषा अनुवाद के लिए भाषिणी ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) को एपीआई सेतु (http://apisetu.gov.in) में सूचीबद्ध किया गया है। भाषिणी एपीआई किसी भी एप्लिकेशन के साथ एकीकृत करने हेतु सभी के लिए उपलब्ध है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केन्द्र प्रायोजित

योजना- समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन कर रहा है। समग्र शिक्षा के तहत, नए स्कूलों को खोलने/सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों के निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, प्राथमिक स्तर पर पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता तथा नामांकन एवं प्रतिधारण अभियान चलाने सहित स्कूल शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए आयु के अनुरूप दाखिले हेतु विशेष प्रशिक्षण, बड़े बच्चों के लिए आवासीय तथा गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है, ताकि स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जहां तक उच्च शिक्षा का संबंध है, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) सहित विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की हैं, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। रूसा का तीसरा चरण जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-ऊषा) के रूप में शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिये वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिये 12926 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य को 553.88 करोड़ रु. के केन्द्रीय भाग का अनुमोदन किया गया है जिसमें से अब तक 496.58 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं। पीएम-उषा योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य को कुल 597.035 करोड़ रुपये के केंद्रीय भाग की मंजूरी दी गई है।

समझना, प्रेरित करना, प्रबंधन करना, सहानुभूति रखना, सशक्त बनाना, विकास करना (उम्मीद) के मसौदे का विवरण स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की वेबसाइट https://dsel.education.gov.in पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ): सरकार आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए बहुआयामी उपाय कर रही है।

एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा फाऊंडेशनल स्टेज़ (एनसीएफ-एफएस) और स्कूली शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) विकसित की और इसका शुभारंभ किया। एनसीएफ-एफएस का शुभारंभ दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 को जबकि एनसीएफ-एसई का शुभारंभ दिनांक 20 फरवरी 2023 को किया गया। दोनों एनसीएफ छात्रों के मानसिक कल्याण हेतु कार्य करते हैं।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने मनोदर्पण नामक एक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 और उसके बाद के समय में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण हेतु देश भर के छात्रों, उनके परिवारों और शिक्षकों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। मनोदर्पण

पहल के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियों का उद्देश्य स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र भी शामिल हैं।

यूजीसी ने दिनांक 13.04.2023 को उच्च शिक्षा संस्थानों में शारीरिक फिटनेस, खेल, छात्रों के स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें छात्रों के लिए शारीरिक फिटनेस और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना; शैक्षणिक दबाव, सहकर्मियों के दबाव, व्यवहार संबंधी मुद्दों, तनाव, कैरियर संबंधी चिंताओं, अवसाद और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अन्य मुद्दों के लिए सुरक्षा उपाय करना; छात्र समुदाय में सकारात्मक सोच और भावनाओं के विषय में बताना; और छात्रों के लिए एक सकारात्मक और सहायक नेटवर्क को बढ़ावा देने का प्रावधान है।

मंत्रालय ने दिनांक 10.07.2023 को उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए एक व्यापक रूपरेखा भी परिचालित की है, जिसमें संस्थागत कार्यप्रणाली में इसे शामिल करने और छात्र समुदाय में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

तदनुसार, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी ने क्रमशः दिनांक 30 मई, 2023, 9-10 जून, 2023, 12 मई, 2023 और 26 अगस्त 2023 को मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन किया। आईआईटी रुड़की द्वारा दिनांक 13-14 फरवरी, 2024 को इंटर आईआईटी वेलनेस मीट का आयोजन किया गया तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर (आईआईटीजीएन) ने 4-5 मार्च, 2024 को अपने परिसर में 'बिल्डिंग स्केलेबल सिस्टम्स फॉर स्टूडेंट वेलबीइंग इन रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स' शीर्षक से छात्रों के मानसिक कल्याण पर दो दिवसीय कार्यशाला की मेजबानी की।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, क्षमता और कल्याण को बढ़ावा देने संबंधी एकीकृत दृष्टिकोण के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, क्षमता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम की अवधारणा तैयार की है। कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय का निरंतर क्षमता निर्माण करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेषज्ञों के पैनल के साथ सहयोग करना है।

****